

संख्या:- 165/XXVII(1)/2011

प्रेषक,

राधा रतूड़ी,  
सचिव, वित्त,  
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,  
(संलग्न विवरणानुसार)  
उत्तराखण्ड।

वित्त अनुभाग-1

देहरादून::दिनांक: 16 <sup>मार्च</sup> फरवरी, 2011

विषय:-द्वितीय राज्य वित्त आयोग, उत्तराखण्ड की संस्तुतियों के अन्तर्गत क्षेत्र पंचायतों को वित्तीय वर्ष 2010-11 हेतु देय वित्तीय संक्रमण।  
महोदय,

उपरोक्त विषयक मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि द्वितीय राज्य वित्त आयोग, उत्तराखण्ड की संस्तुतियों के अन्तर्गत शासन द्वारा लिए गये निर्णयानुसार प्रदेश की क्षेत्र पंचायतों को वित्तीय वर्ष 2010-11 हेतु कुल धनराशि ₹240340000.00 (दो सौ बीस करोड़ तीन लाख चालीस हजार मात्र) को संलग्नानुसार अंकित धनराशि को निम्नलिखित शर्तों के अधीन श्री राज्यपाल महोदय आवंटन की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

2-उपर्युक्त धनराशि निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन संक्रमित की जा रही है:-

i)- संक्रमित की जा रही धनराशि वेतन एवं भत्तों आदि पर व्यय नहीं की जा सकेगी। क्षेत्र पंचायतों को संक्रमित की जाने वाली धनराशि के बिल कोषागार से आहरण हेतु जनपद के जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा तैयार किये जायेंगे तथा बिल जिलाधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित किया जायेगा।

ii) प्रत्येक क्षेत्र पंचायत को संक्रमित धनराशि जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा ट्रेजरी चैक / क्रास्ट बैंक ड्राफ्ट द्वारा 15 दिन के भीतर खण्ड विकास अधिकारी को उपलब्ध करायेंगे।

3- संक्रमित धनराशि का उपयोग शासनादेश संख्या:- 1674ए/XXVII(1)/2006 दिनांक 22 नवम्बर, 2006 द्वारा निर्गत मार्गनिर्देशक सिद्धान्त के अनुसार व्यय की जायेगी। इसमें किसी प्रकार का व्यावर्तन /समायोजन अनुमन्य नहीं होगा। यदि इसमें किसी प्रकार का बदलाव किया जाता है तो उसकी सूचना तत्काल वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन को प्रेषित की जायेगी तथा शासन के अनुमोदन के उपरान्त ही बदलाव अनुमन्य होगा।

4- संक्रमित धनराशि के समुचित उपयोग के लिए विभागीय अधिकारी/मुख्य/वरिष्ठ लेखाधिकारी/लेखाधिकारी/सहायक लेखाधिकारी, जैसी भी स्थिति हो उत्तरदायी होंगे।

5- उपयोगिता प्रमाण-पत्र जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा खण्ड विकास अधिकारी से प्राप्त कर सम्बंधित जिलाधिकारी के प्रतिहस्ताक्षरित कराकर महालेखाकार, उत्तराखण्ड, वित्त

निदेशिका  
24/3/11

5/11  
24/3/11

विभाग, उत्तराखण्ड शासन तथा सचिव, ग्राम्य विकास / पंचायती राज, उत्तराखण्ड शासन को भेजा जायेगा। अवमुक्त की जा रही धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्राप्त होने पर ही अगली किश्त अवमुक्त की जायेगी। प्रमाण-पत्र के साथ कराये गये कार्य का पूर्ण विवरण (कराये गये कार्य का नाम तथा व्यय की धनराशि सहित) भी भेजना होगा।

6- संक्रमित धनराशि वित्तीय वर्ष 2010-11 के आय-व्ययक की अनुदान संख्या-7 के लेखाशीर्षक-3604-स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति तथा समनुदेशन-आयोजनेत्तर-02-पंचायती राज संस्थाएं-197-विकास खण्ड स्तरीय पंचायत-03-राज्य वित्त आयोग द्वारा संस्तुत करों से समनुदेशन-00-20-सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता के नामे डाला जायेगा।

संलग्नक:- यथोपरि।

भवदीया

(राधा रतूड़ी)  
सचिव, वित्त।

संख्या:- 165 (1)/XXVII(1)/2011 तब दिनांक 11/05/2011 पंचायती राज विभाग  
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- आयुक्त गढ़वाल मण्डल / कुमाऊ मण्डल, उत्तराखण्ड।
- 2- महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 3- सचिव, ग्राम्य विकास, उत्तराखण्ड शासन।
- 4- सचिव, पंचायती राज, उत्तराखण्ड शासन।
- 5- निदेशक, पंचायती राज, उत्तराखण्ड।
- 6- जिला पंचायत राज अधिकारी, अल्मोड़ा, बागेश्वर, हरिद्वार, चमोली, चम्पावत, पिथौरागढ़ एवं उत्तरकाशी उत्तराखण्ड।
- 7- निदेशक, लेखा एवं हकदारी, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 8- मुख्य कोषाधिकारी / वरिष्ठ कोषाधिकारी / कोषाधिकारी, अल्मोड़ा, बागेश्वर, हरिद्वार, चमोली, चम्पावत, पिथौरागढ़ एवं उत्तरकाशी उत्तराखण्ड।
- 9- खण्ड विकास अधिकारी, अल्मोड़ा, बागेश्वर, हरिद्वार, चमोली, चम्पावत, पिथौरागढ़ एवं उत्तरकाशी उत्तराखण्ड।
- 10- निजी सचिव, मा० मुख्यमंत्री जी, उत्तराखण्ड शासन।
- 11- एन०आई०सी०, सचिवालय परिसर, देहरादून।

आज्ञा से,

(आर.सी.अग्रवाल)  
अपर सचिव, वित्त।

संख्या:- 165 / XXVII(1) / 2011 दिनांक: 16 अक्टूबर, 2011 का संलग्नक।

द्वितीय राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत क्षेत्र पंचायत को देय अनुदान का संकमण।

(धनराशि हजार ₹ में)

क्र० सं०	जिला	क्षेत्र पंचायत का नाम	अवमुक्त की जा रही धनराशि
1	2	3	4
1-	अल्मोड़ा	भैसियाछाना	1636
		भिकियासैण	2425
		चौखुटिया	2895
		धौलादेवी	5981
		द्वाराहाट	3581
		हवलबाग	3315
		लमगड़ा	3980
		सल्ट	6098
		स्याल्दे	4074
		ताकुला	2194
		ताडीखेत	5551
			योग:-
2-	बागेश्वर	बागेश्वर	6020
		गरुड़	2823
		कपकोट	5567
		योग:-	14410
3-	घमोली	दशोली	3426
		देवाल	2694
		गैरसैण	5310
		घाट	2491
		जोशीमठ	7438
		कणप्रयाग	4551
		नारायणबगड़	2520
		पोखरी	3031
		धराली	2435
	योग:-	33896	
4-	घम्पावत	बाराकोट	2029
		घम्पावत	8149
		लोहाघाट	2627
		पाटी	3539
		योग:-	16344
5-	हरिद्वार	बहावराबाद	18794
		भगवानपुर	9910

(धनराशि हजार र में)

क्र० सं०	जिला	क्षेत्र पंचायत का नाम	अवमुक्त की जा रही धनराशि
		खानपुर	3055
		लक्षर	6007
		नारसन	8449
		रुड़की	7289
		योग:-	53504
6-	पिथौरागढ़	बेरीनाग	6281
		धारधूला	9086
		डीडीहाट	2539
		गंगोलीहाट	7535
		कनालीचीना	3518
		मुनाकोट	3722
		मुनस्यारी	10343
		पिथौरागढ़	3579
		योग:-	46603
7-	उत्तरकाशी	भटवाडी	6526
		धिन्यालीरौड	3919
		डुण्डा	4542
		मोरी	5370
		नौगाँव	12310
		पुरोला	2226
		योग:-	34893
		महायोग:-	240340

(रचौबीस करोड़ तीन लाख चालीस हजार मात्र)

(राधा रतूडी)  
सचिव, वित्त।